न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), एफ०टी०सी०–द्वितीय/जे०एम०, सन्त कबीर नगर।

पीठासीन अधिकारी– (निधी मिश्रा)– उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP04614

UPSK040123502025

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या – 1274/2025

संजना — अन्तर्गत धारा –173(4) BNSS

बनाम — थाना–दुधारा,

गोविन्द साहनी आदि। — जिला– सन्त कबीर नगर।

14.11.2025

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) BNSS पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी के विरुद्ध थानाध्यक्ष दुधारा जिला– सन्त कबीर नगर को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने हेतु आदेश दिये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक सन्त कबीर नगर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छाया प्रति व मूल रजिस्ट्री रसीद एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

थाने की आख्या के अनुसार आवेदिका संजना उदयभान पुत्र रामलौट ग्राम– सिसवा पठान थाना– दुधारा, जनपद– संत कबीर नगर के साथ अपने मर्जी से शादी कर अपने पति उदयभान के साथ ग्राम सिसवा पठान आयी। प्रतिपक्षीगण उदयभान के पट्टीदार है। प्रतिपक्षीगण व उदयभान के बीच कुछ कहा सुनी हुई, इसी बात से नाराज होकर आवेदिका द्वारा प्रार्थना–पत्र दिया गया है। उक्त प्रकीर्ण प्रार्थना–पत्र पर थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नही हैं।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदिका को विपक्षी द्वारा कारित तथाकथित अपराध की प्रकृति एवं संलिप्त व्यक्तियों के विषय में पर्याप्त सूचना है। आवेदिका न्यायालय के समक्ष अपना बयान अंकित करा सकती है। पुलिस द्वारा विवेचना कराया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय **प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ०प्र० राज्य 2015(6) एस०सी०सी० 287** तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2008 Cri.L.J. 472** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि न्यायालय उचित समझती है तो धारा–173(4) BNSS के अंतर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकती है तथा उस पर प्रसंज्ञान ले सकती है। अतः उक्त विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा– 223 BNSS दिनाँक 14.12.2025 को पेश हो। परिवादिनी उक्त तिथि पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

दिनांकः 14.11.2025

सिविल जज (जू०डि०),
एफ०टी०सी०–द्वितीय/जे०एम०,
सन्त कबीर नगर।
J.O.Code – UP04614

Digitally signed by Nidhi Mishra
Date: 2025.11.14 16:16:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court